कुलसचिव कार्यालय

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर–263145

पत्रांकः– आर/डी0आर0/780

दिनांकः– 13.09.2022

कार्यालय आदेश

छात्रों की फीस वापसी के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों (D.O. No. 2-71/2022 (CDP-II) दिनांक अगस्त 2, 2022) को इस विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु कुलपति महोदय ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिये दिनांक 31.10.2022 तक विद्यार्थियों के सभी प्रवेश निरस्तीकरण/प्रवास (all cancellations of admissions/migrations) की दशा में पूर्ण शुल्क वापसी (zero cancellation charges) की जायेगी। उसके बाद दिनांक 31.12.2022 तक प्रवेश निरस्तीकरण/प्रवेश वापस लेने पर प्रक्रिया शुल्क के रूप में अधिकतम धनराशि रू0 1000.00 (एक हजार) तक की कटौती करते हुए छात्र को पूर्ण (शेष) शुल्क वापसी सुनिश्चित की जाएगी। कृपया सभी सम्बन्धित तद्नुसार कायवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

पूर्व में निर्गत कुलसचिव कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0 आर0/2322 दिनांक 29.05.2020 जोकि विश्वविद्यालय में प्रवेश के उपरान्त सीट रिक्त किये जाने के पश्चात छात्रों को फीस वापसी के सम्बन्ध में है, को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022–23 के नव प्रवेशित छात्रों के लिए निष्प्रभावी समझा जाए।

15/9/2022

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अधिष्ठाता
2. वित्त नियंत्रक
3. समन्वयक, प्रवेश अनुभाग
4. उप कुलसचिव/इन्चार्ज आई0सी0सी
5. इंचार्ज विश्वविद्यालय वेबसाईट, विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित